न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 19 / 2021

हेमसिंह आयु 41 वर्ष पुत्र मेघसिंह जाति कुशवाह निवासी हाल आवाद ग्रांम खानुआ तहसील रुपवास जिला भरतपुर राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1— परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई एनएच—123 दौसा (राज0)

2— सक्षम अधिकारी भूमि आवाप्ति अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी,) रुपवास जिला भरतपुर राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी नेशनल हाइवे एक्ट खिलाफ एवार्ड तारीख निल सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रुपवास बाबत अवाप्त करने भूमि राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 123 ऊंचा नगंला से धौलपुर आराजी खसरा नम्बर 1172 में से 41 X 41.6 फुट बाके खानुआ तहसील रुपवास जिला भरतपुर ।

निर्णय **दिनांक 23.8.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी एन0एच0एक्ट विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 को मेगा हाईवे बनाने व चौड़ा करने हेतु अवाप्ति की अधिसूचना भारत का राजपत्र दिनांक 2 मई 2015 को प्रकाशित कर अवाप्त की थी। जिसमें प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 1172 में से 41 X 41.6 फुट भूमि को अवाप्त किया गया है। अवाप्त शुदा आराजी की प्रतिकर राशि कृषि भूमि एवं सड़क से व आवादी क्षेत्र से दूर की भूमि की डी.एल.सी रेट से लगाया गया है। जब कि

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

सन् 2016 में इसी खसरा नम्बर का मुआवजा सन् 2014 की डी.एल.सी. रेट से सड़क आबादी के पास असिंचित का मुआवजा दिया गया है जब कि 41 X 41.6 फुट भूमि का प्रार्थी को कोई प्रतिकर राशि नहीं दी गई। अवाप्त शुदा आराजी में पक्का मकान बना हुआ दुकान बनी हुई हैं, आबादी की जमीन है, सड़क के पास स्थित है। अवाप्त शुदा आराजी की मुआवजा कृषि दर से तय नहीं किया जाकर वाणिज्यिक व आबादी भूमि के हिसाब से प्लॉट की कीमत 7–8 हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से दी जावे तथा वर्ष 2013 से आज तक उस राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से जबाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र याचिका में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1172 में से 41 X 41.6 फुट भूमि को नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण हेतु अवाप्त किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि यह जमीन आराजी खसरा नम्बर 1172 प्रार्थी के पिता ने खातेदार शिवदयाल से खरीद किया था, और खरीदी तारीख से जमीन का कब्जा प्रार्थी को हस्तान्तरित कर दिया गया था। अवाप्त शुदा भूमि 41 X 41.6 फुट भूमि खसरा नम्बर 1172 का ही भाग है जिसमें दुकान पानी का टैंक बोरवैल दुकानात बनी हुई थी। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा वाणिज्यक दर से एवं उसमें हो रहे निर्माण वगे. का मुआवजा नहीं दिया गया है। जो प्रार्थी पाने का हकदार रहता है। प्रार्थी तद्समय प्रचलित दर से मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की ।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. का तर्क है कि प्रार्थी की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खसर नम्बर 1172 में से कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा उसका मुआवजा 231497 / – रुपये निर्धारण किया गया है। प्रार्थना पत्र प्राथी खारिज किया जावे।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथन पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जबाब वगे. का अध्ययन किया गया। प्रार्थी का कहना है कि उसकी खरीद शुदा खसरा नम्बर 1172 में से 41 X 41.6 फुट भूमि को नेशनल हाईवे के चौड़ाकरण हेतु अवाप्त किया गया है। जिसमे दुकान, मकान, अवास बना हुआ था। प्रार्थी ने वाणिज्यक दर से मुआवजा दिये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने मौखिक कथनो की समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टि होती हो। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया, जबाब के पेज 2 के मदबार जबाब के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि जो इस प्रकार है कि :–

> "..... प्रार्थी के बताये अनुसार खसरा नम्बर 1172 में से कोई भी भूमि रोड़ निर्माण हेतु अवाप्त नहीं की गयी है। प्रार्थी को जो मुआवजा निर्माण आदि का दिया गया है वह उपरोक्त खसरा नम्बर 4710 / 1169, 4712 / 1170, 4865 / 2469, 4869 / 2471, 4871 / 2472 सरकारी भूमि राजस्व रिकार्ड में है जिसमें से रोड़ निर्माण हेतु जमीन अवाप्त की गयी थी। उक्त जमीन पर प्रार्थी का भी अवैध निर्माण था जिसका नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है....."

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र याचिका काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र याचिका खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 23.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर